सोशल आडिट निदेशालय

ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0

7वाँ तल, पी.सी.एफ. भवन, 32, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001

Phone No.: 0522-2630878, Fax: 0522-4003787, E-mail: socialauditup@yahoo.in

---

पत्रांकः 410 /सो.आ.नि.-271(2)/ 2019
दिनाँकः 23 सितम्बर, 2021

प्रेषक,

निदेशक,
सोशल आडिट,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिला विकास अधिकारी,
(गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, कासगंज एवं मेरठ को छोड़कर),
उत्तर प्रदेश।

विषयः ई०पी०एफ० की सूचना समय से उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

ई०पी०एफ० की सूचना प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने हेतु उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या 693/सो.आ.नि.-271/2019, दिनांक 15/03/2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें। जनपदों में कार्यरत DSAC/BSAC का ई०पी०एफ० अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में प्रत्येक माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से जमा किए जाने की व्यवस्था है। ई०पी०एफ० अंशदान जमा किए जाने हेतु जनपदों से व्यवसायिक शुल्क के भुगतान की सूचना प्राप्त की जाती है, किन्तु सभी जनपदों द्वारा समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराए जाने से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में प्रत्येक माह ई०पी०एफ० अंशदान जमा करने में समस्या होती है तथा ई०पी०एफ० अंशदान समय से न जमा किए जाने की स्थिति में पैनल डैमेज चार्ज एवं ब्याज पेनाल्टी की देय हो जाता है। इसके अतिरिक्त जनपदों द्वारा कुछ DSAC/BSAC के व्यवसायिक शुल्क का भुगतान रोका जाता है जिस कारण उन DSAC/BSAC का संबंधित माह का ई०पी०एफ० अंशदान जमा नहीं हो पाता है, जो प्रत्येक माह जमा किया जाना आवश्यक है। जनपदों द्वारा बाद में रोकी गई अवधि का व्यवसायिक शुल्क का भुगतान कर दिया जाता है जिसके संबंध में जनपदों द्वारा समय पर सूचना नहीं दी जाती है।

निदेशालय द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों के क्रम में पुनः आपसे अपेक्षा है कि प्रत्येक माह की 05 तारीख तक गत माह में किए गए कार्य के अनुसार DSAC/BSAC की उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करें, जिससे माह की 10 तारीख तक DSAC/BSAC के ई०पी०एफ० अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जमा करने की कार्यवाही पूर्ण की जा सके। यदि उक्त सूचना निदेशालय में समय से प्राप्त नहीं होती है ऐसी दशा में समस्त DSAC/BSAC की उपस्थिति पूर्ण माह की मानते हुए ई०पी०एफ० का

अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जमा कर दिया जाएगा। यदि DSAC/BSAC के व्यवसायिक शुल्क के भुगतान के संबंध में किसी प्रकार की भिन्नता पाई जाती है तो इसका सम्पूर्ण उतरदायित्व संबंधित जनपद के जिला विकास अधिकारी का होगा।

भवदीय,

23/9/21

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपि:- समस्त जिलाधिकारी (गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, हापुड़, कासगंज एवं मेरठ को छोड़कर), उ०प्र० को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने स्तर से जिला विकास अधिकारी को समय से सूचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(शरद कुमार सिंह)
निदेशक